



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: durguniversity@gmail.com, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone & Fax 0788-2213300

क्र. 337/2016

दुर्ग, दिनांक : 19/7/16

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

28(2)(i) 1.निरंक

28(2)(ii) 1.डॉ. चंद्रिका नाथवानी, प्राध्यापक, शास. दिग्विजय स्ना. महाविद्यालय, राजनांदगांव
2.डॉ. एम.एल.साव, प्राध्यापक, शास. के.डी.आर.गर्ल्स कॉलेज, राजनांदगांव

28(2)(iii) 1.निरंक

28(2)(iv) 1.डॉ. के.पद्मावती, सहायक प्राध्यापक, शास.वी.वाई.टी.महाविद्यालय, दुर्ग
✓2.डॉ. रितेश कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, शास. इंदिरा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, वैशाली नगर

28(2)(v) 1.डॉ. अरुण कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, सेठ आर.सी.एस. कला एवं कॉमर्स कॉलेज, दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा- 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. चंद्रिका नाथवानी, को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पु.क्र. 337 2016

दुर्ग, दिनांक 19/7/16

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. संबंधित सदस्यों को।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।


उप कुलसचिव (अका.)



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone & Fax 0788-2359400

क्र. 854 / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक : 10/09/17

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कड़िका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान सभा के अंतर्गत **अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल** का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. डी.सी.अग्रवाल (प्राध्यापक), शासकीय डॉ. बा.बा. पाटणकर स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. एम.एल.साय (प्राध्यापक), शासकीय कमला देवी राठी कन्या महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. निर्मला उमरे (सहा. प्राध्यापक), शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
2. डॉ. शुभा शर्मा (सहा. प्राध्यापक), शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उताई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
- 28(2)(v) ✓ 1. डॉ. रितेश अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक), इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती (सहा. प्राध्यापक), शासकीय विश्वनाथ यादव तामरकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा- 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. डी. सी. अग्रवाल को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दुर्ग, दिनांक : 10/09/17

क्र. 855 / अका. / 2017

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- संबंधित सदस्यों को।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)